

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक-वि0ना0सं0/

/2020-21 दिनांक- 26/6/2020

1342

संशोधन आदेश

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के नियम -17 के प्राविधानों के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 12984 दिनांक-30 मार्च 2013 द्वारा निर्गत विद्यालय को मानक पूर्ण किये जाने का बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा-19 (2) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र में विद्यालय का नाम मोहन लाल साह बाल विद्या निकेतन, नैनीताल (कोड संख्या-67) अंकित है।


प्रधानाचार्य, मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर, नैनीताल के पत्र दिनांक-01.06.2020 द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर उक्त प्रमाण पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए विद्यालय का नाम मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर, नैनीताल संशोधित किया जाता है।

भवदीय


26/6/2020

(के0के0गुप्ता)

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
नैनीताल।



Manager  
M.L. Sah Bal Vidya Mandir  
Nainital



Principal  
M.L. Sah Bal Vidya Mandir  
NAINITAL